क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) घोटाले के फलस्वरूप फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन (एफएमसी) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एसईबीई) का विलय कर दिया गया है;

(ख) क्या सेबी द्वारा शेयरों तथा वस्तुओं दोनों का एक साथ संचलन किए जाने की स्थिति में इसके द्वारा अनुपालन किए जाने वाले नियमों एवं विनियमों को अपनाया गया है;

(ग) क्या एफएमसी से संबंधित लम्बित अदालती मामलों को निपटा लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार इसे कब तक करने का इरादा रखती है ताकि सेबी कमोडिटी (वस्तु) मामलों का सुचारू रूप से संचलन कर सके?

**उत्तर**

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्‍हा)**

**(क) :** वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) के कार्यों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को अंतरित करके 29 सितम्‍बर, 2015 को उसे सौंप दिया गया। प्रतिभूति बाजार और वस्‍तु व्‍युत्‍पन्‍न बाजार के विनियमनों में अनुकूलता लाने तथा विनिमय केंद्रों, वित्‍तीय कंपनियों और अन्‍य हितधारकों के क्षेत्र और स्‍तर से जुड़े आर्थिक कार्यकलापों में वृद्धि करने के लिए विभिन्‍न विशेषज्ञ समितियों द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर ऐसा किया गया।

**(ख) :** जी, हां।

**(ग) और (घ) :** जी, नहीं। सभी लंबित अदालती मामले संबंधित अदालतों के फैसलों के अनुसार यथासमय निपटाए जाएंगे। वित्‍त अधिनियम, 2015 की दृष्‍टि से, सेबी को वायदा बाजार आयोग के स्‍थान पर लाया गया है और वह सभी लंबित अदालती मामलों पर कार्रवाई करेगा।

----